

05- 995/20

विमला देवी आयु लगभग 78 वर्ष पत्नी स्व० शोभनाथ निवासिनी ग्राम डेलहा परगना-चांदा, तहसील-लम्बुआ जनपद सुलतानपुरवादिनी

बनाम

1-बिमलेश आयु लगभग 48 वर्ष पत्नी दिनेश कुमार

2-गीता आयु लगभग 50 वर्ष पत्नी विनोद सिंह

3-दिनेश आयु लगभग 50 साल सुत प्रख्यात सिंह

निवासीगण ग्राम-डेलहा, परगना-चांदा, तहसील-लम्बुआ जनपद सुलतानपुर

.....प्रतिवादीगण

सा०वा०सं०- /2020

दायरा दिनांक- 01-09-
3-09-

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थिनी/वादिनी का निम्न निवेदन है :-

धारा-1 यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी संलग्न किया जा रहा है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है जिसमें विवादित आराजी को वरंग सुर्ख अक्षर अ. ब. स. द लालकीर से घेरकर दर्शाया गया है।

धारा-2 यह कि विवादित आराजी भूखण्ड संख्या-222ठ रकबा 0.0510हे० की वादिनी स्वामिनी है जो राजस्व अभिलेखों में तनहा वादिनी के नाम से दर्ज है जिस पर वादिनी का कब्जा व दखल है लेकिन विवादित आराजी गांव रो राटी हुई आराजी है और वादिनी के पति की मृत्यु आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व हो चुकी है तब से विवादित आराजी में

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०-15 महोदय सुलतानपुर
बिमला देवी बनाम दिनेश कुमार विमलेश आदि

सा०वा०सं०- /2020

अपने बुढ़ापे के कारण वादिनी सांग सब्जी उगाकर जीवन यापन कर रही है।

धारा-3 यह कि वादिनी ग्राम ढेलहा परगना-चांदा, तहसील-लम्भुआ जनपद सुलतानपुर की स्थायी निवासिनी है तथा वादिनी के पति की मृत्यु हो जाने के कारण वादिनी किसी तरह जीवन यापन कर रही है। विदित रहे कि वादिनी व उसके पति से कोई पुत्र नहीं हुये मात्र एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसकी शादी वादिनी ने किसी तरह गरीबी में ग्राम टीकरमाफी जिला अमेठी में किया जिसका आना जाना दूरी के कारण मायके में कम हो पाता है।

धारा-4 यह कि वादिनी के पास कोई पुत्र न होने के कारण और पति की मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिवादीगण रंजिश रखते है और आये दिन वादिनी की खतौनी की जमीन गाटा सं0-222ठ रकबा 0.0510हे0 को क्षतिग्रस्त करते हुये कब्जा करने के फिराक में पड़े रहते है। चूंकि वादिनी बहुत ज्यादा वृद्ध हो गयी है जिस कारण से बुढ़ापे का फायदा उठाकर उपरोक्त आराजी को कब्जा करके निर्माण कर लेना चाहते है।

धारा-5 यह कि प्रतिवादीगण का दिवादित आराजी से कोई वास्ता व सरोकार न कभी था और न आज है।

धारा-6 यह कि प्रतिवादीगण बहुत ही सरहंग किस्म के व्यक्ति है जो गांव में नाजायज गोल कायम किये हुये है और उसी के बल पर वादिनी की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर आराजी निजाई पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य कर लेने चाहते है जिसके लिए प्रतिवादीगण दिनांक-27.08.2020 को अपने मेली मददगारो के साथ आराजी निजाई पर आये और उस पर नाप जोख करने लगे वादिनी ने जब उनसे कारण पूछा तो वे लोग आमादा फौजदारी हो गये और कहे कि हम लोग इस पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करेंगे इस पर वादिनी ने पास पड़ोस के कुछ सम्भन्त व्यक्तियों को इकट्ठा किया लोगों के समझाने बुझाने पर वे लोग मान गये परन्तु उन लोगों के चले जाने के बाद ऐलानियां धमकी दिये कि जल्द से जल्द हम लोग आराजी निजाई पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य करेंगे।

[Handwritten Signature]

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रोब0) कक्ष सं0-15 महोदय सुलतानपुर
बिमला देवी विमलेश आदि

सा0वा0सं0- /2020

धारा-7 यह कि प्रतिवादीगण विधि विरुद्ध ढंग से जबरन वादिनी के नाम से दर्ज विवादित आराजी से बेदखल कर अवैधानिक ढंग से कब्जा करके उस पर नवनिर्माण करने में सफल हो गये तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी और बेरून अदालत प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकत से किसी तरह से बाज आने को तैयार नहीं है इसलिए वादिनी को न्यायालय की शरण लेना आवश्यक हुआ और दावा दायर करना लाजिम आया।

धारा-8 यह कि प्रतिवादीगण न्यायालय के बाहर सुलह करने को तैयार नहीं है लिहाजा प्रस्तुत दावा श्रीमान जी के न्यायालय में दायर करना आवश्यक हुआ।

धारा-9 यह कि वाद का मूल कारण दिनांक-27.08.2020 को जब प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर नवनिर्माण करने का असफल प्रयास किया वादहू देने धमकी कर लेने जबरदस्ती निर्माण कार्य बमुकाम मौजा डेलहा परगना-चांदा तहसील लम्बुआ जिला-सुलतानपुर अन्दर हदूद अख्तियार समायत अदालत हाजा के पैदा हुआ।

धारा-10 यह कि आराजी निजाई के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त उभयपक्षों के बीच कोई अन्य मुकदमा न तो दीवानी न्यायालय में दायर किया गया और न ही माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित है और न ही आराजी निजाई के सम्बन्ध में उभयपक्षों के बीच दुरभि संधि ही है।

धारा-11 यह कि मालियत दावा हाजा वास्ते हद अख्तियार आराजी निजाई गाटा सं०-222ठ रकबा 0.0510हे० स्थित ग्राम-डेलहा से सटी हुई आराजी है जिस कारण से उसकी बाजारू कीमत 6,00,000रू० कायम की जाती है। 600000रू० का 1/5 भाग मु०-1,20,000रू० होता है चूंकि दावा स्थायी ब्यादेश का है इसलिए उस पर अधिकतम कोर्ट फीस 500रू० की वास्ते याचना अदा की जाती है।

याचना

अ- डिक्री स्थायी ब्यादेश बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की पारित की जाय कि प्रतिवादीगण को हमेशा-हमेशा के लिए मना कर दिया जाय कि प्रतिवादीगण, वादिनी की विवादित आराजी

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०-15 महोदय सुलतानपुर
बिमला देवी बनाम बिमलेश आदि

जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर नवनिर्माण न करें, न ही वाद भूमि पर वादिनी के कब्जा देखल शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप करें।


ब- खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाय।

स- अन्य याचना जो आवश्यक एवं उचित हो वादिनी के पक्ष में प्रदान की जाय।


सराहत जायदाद निजाई- स्थित गाटा सं०-222ठ रकबा 0.0510हे० वाके मौजा डेलहा परगना-चांदा, तहसील-लम्भुआ जनपद सुलतानपुर।

मैं वादिनी स्वयं तस्दीक करती हूँ कि वाद पत्र की धारा 1 ता 10 मेरे निजी जानकारी में सही व सत्य है तथा धारा 11 व अनुतोष के सही होने का यकीन अपने अधिवक्ता के बताने के अनुसार करता हूँ। इसमें न कुछ झूठ है न कुछ छिपाया गया है तस्दीक स्थान-दीवानी न्यायालय प्रांगण सुलतानपुर

दिनांक:- 1-9-20


अधिवक्ता

प्रार्थिनी



बिमला देवी पत्नी स्व० शोभनाथ
निवासिनी ग्राम डेलहा
परगना-चांदा, तहसील-लम्भुआ
जनपद सुलतानपुर

.....वादीगण
द्वारा अधिवक्ता

दिनांक:- 1-9-20

3-9-20



न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०-15 महोदय सुलतानपुर
बिमला देवी
बनाम.....बिमलेश आदि

सुलतानपुर-1/2020


समाप्तिका सोमान लिमिटेड जल १० खण्ड अक्ष स १६ मधे ०३
 २००७-०८

३५/६

विमला देवी ————— बादीनी
 लक्ष्मी


विमला देवी ४११६ ————— अतिवादीनी

संख्या ०१० १२००
 दिनांक ०३-०९-२००७



चक्रा - चक्रा

सुख
 संलक्ष



सहायक सचिव, जल विभाग, अक्ष, स १६ मधे ०३
 दिनांक ०३-०९-२००७

आशा

विमला देवी

बादीनी

सुख संलक्ष

मकान

०३-०९-२००७

०३-०९-२००७

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-

175/20

बनाम

दिनांक

03/10/20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ।
अवलोकित। अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक 03/10/20 को
वास्ते दयान तहरीरी एवं दिनांक 10/10/20 को वास्ते बिरचित किये जाने
वादबिन्दु पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),
कक्ष सं०-15, सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इस्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
जा०दी०।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया
गया।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-995/2020
विमला देवी बनाम विमलेश आदि।

दिनांक-03.09.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को गाटा संख्या 222ठ रकबा 0.0510 हे0 होना कहा है और यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण का वाद भूमि से कोई संबंध नहीं है। वह जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वादिनी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1 से उद्धरण खतौनी 10ग1/1, खतौनी कागज संख्या 11ग1/1, बन्दोवस्ती नक्शा की छायाप्रति 12ग1/1 ता 12ग1/5, आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 13ग1/1 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा संख्या 222ठ एक मि0 नम्बर है। मि0 गाटा सैद्धांतिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित होता है। प्रस्तुत बन्दोवस्ती नक्शा की छायाप्रति के अवलोकन से गाटा संख्या 222 में मि0 गाटा संख्या 222ठ की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अतः ऐसे में अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 03.10.2020 को पेश हो।

03.09.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सुचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

03.09.20

(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज (प्रो ख0)- कक्ष संख्या-15, सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-995/2020
विमला देवी-बनाम-विमलेश आदि।

दिनांक-15.09.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.09.2020 प्रार्थी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त वाद प्रस्तुत करते समय कुछ विधिक त्रुटि हो जाने के कारण प्रार्थिनी उपरोक्त मुकदमा वापस लेना चाहती है। न्यायहित में उपरोक्त मुकदमे को पुनः दायर किए जाने के साथ उठाये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सुना पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय कुछ विधिक त्रुटि हो जाने के कारण वादिनी मुकदमा वाद वापस लेना चाहता है, आधार पर्याप्त है। अतः ऐसे में प्रार्थना पत्र वादिनी स्वीकार कये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 15.09.2020 स्वीकार किया जाता है। वादिनी को पुनः वाद संस्थित करने की अनुमति के साथ दावा उठाने की अनुमति दिया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार पत्रावली दाखिल दफतर करे।

15.09.20

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्रो ख0) कक्ष संख्या-15,
सुलतानपुर।



न्यायालय

विमला
देवी

1-

2-

3-

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०-15 महोदय सुलतानपुर

OS- 1116/20

बिमला देवी आयु लगभग 78 वर्ष पत्नी स्व० शोभनाथ निवासिनी ग्राम ढेलहा
परगना-चांदा, तहसील-लम्मुआ जनपद सुलतानपुरवादिनी

बनाम

1-बिमलेश आयु लगभग 48 वर्ष पत्नी दिनेश कुमार

2-गीता आयु लगभग 50 वर्ष पत्नी विनोद सिंह

निवासीगण ग्राम-ढेलहा, परगना-चांदा, तहसील-लम्मुआ जनपद सुलतानपुर

.....प्रतिवादीगण

सा०वा०सं०- /2020

दायरा दिनांक- 16.9.20

दावा स्थायी व्यादेश

महोदय,

प्रार्थिनी/वादिनी का निम्न निवेदन है :-

धारा-1 यह कि वाद पत्र के साथ एक नक्शा नजरी संलग्न किया जा रहा है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है जिसमें विवादित आराजी को बरंग सुर्ख अक्षर अ, व, स, द लाललकीर से घेरकर दर्शाया गया है।

धारा-2 यह कि विवादित आराजी भूखण्ड संख्या-260 रकबा 0.6830 हे० की वादिनी स्वामिनी है जो राजस्व अभिलेखों में तनहा वादिनी के नाम से दर्ज है जिस पर वादिनी का कब्जा व दखल है लेकिन विवादित आराजी गांव से सटी हुई आराजी है और वादिनी के पति की मृत्यु आज से लगभग-1 वर्ष पूर्व हो चुकी है तब से विवादित आराजी में अपने बुढ़ापे के कारण वादिनी साग सब्जी उगाकर जीवन यापन कर

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०-15 महोदय सुलतानपुर
बिमला देवीबनाम.....बिमलेश आदि
सुलतानपुर /2020

34/2

रही है, जिस कारण से प्रतिवादीगण वादिनी से रंजिश रखते हैं और आये दिन उपरोक्त आराजी को क्षतिग्रस्त करने के फिराक में पड़े रहते हैं।

धारा-3 यह कि वादिनी ग्राम डेलहा परगना-चांदा, तहसील-लम्मुआ जनपद सुलतानपुर की स्थायी निवासिनी है तथा वादिनी के पति की मृत्यु हो जाने के कारण वादिनी किसी तरह जीवन यापन कर रही है। विदित रहे कि वादिनी व उसके पति से कोई पुत्र नहीं हुये मात्र एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसकी शादी वादिनी ने किसी तरह गरीबी में ग्राम टीकरमाफी जिला अमेठी में किया है, जिसका आना जाना दूरी के कारण मायके में कम हो पाता है, जिसका नाजायज फायदा प्रतिवादीगण उठा रहे हैं।

धारा-4 यह कि वादिनी के पास कोई पुत्र न होने के कारण और पति की मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिवादीगण रंजिश रखते हैं और आये दिन वादिनी की खतौनी की जमीन गाटा सं०-260 रकबा 0.6830हे० को क्षतिग्रस्त करते हुये कब्जा करने के फिराक में पड़े रहते हैं। चूंकि वादिनी बहुत ज्यादा वृद्ध हो गयी है जिस कारण से बुढ़ापे का फायदा उठाकर उपरोक्त आराजी को कब्जा करके निर्माण कर लेना चाहते हैं।

धारा-5 यह कि प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई वास्ता व सरोकार न कभी था और न आज है और न भविष्य में होने का कोई सवाल पैदा होता है।

धारा-6 यह कि प्रतिवादीगण बहुत ही सरहंग किस्म के व्यक्ति हैं जो गांव में नाजायज गोल कायम किये हुये हैं और उसी के बल पर वादिनी की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर आराजी निजाई पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य कर लेना चाहते हैं जिसके लिए प्रतिवादीगण दिनांक-12.09.2020 को अपने मेली मददगारों के साथ आराजी निजाई पर आये और उस पर नाप जोख करने लगे वादिनी ने जब उनसे कारण पूछा तो वे लोग आम्मादा फौजदारी हो गये और कहे कि हम लोग इस पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण करेंगे इस पर वादिनी ने पास पड़ोस के कुछ सम्बन्धित व्यक्तियों को इकट्ठा किया लोगों के समझाने बुझाने पर वे लोग मान गये परन्तु उन लोगों के

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्रोव्हा) कक्ष सं०-15 महोदय सुलतानपुर
बिनाम..... वनाम..... विमलेश आदि
सा०-... / 2020

[Handwritten signature]

चले जाने के बाद ऐलानियां धमकी दिये कि जल्द से जल्द हम लोग आराजी निजाई पर जबरदस्ती कब्जा कर निर्माण कार्य करेंगे।

- धारा-7 यह कि प्रतिवादीगण विधि विरुद्ध ढंग से जबरन वादिनी के नाम से दर्ज विवादित आराजी से बेदखल कर अवैधानिक ढंग से कब्जा करके उस पर नवनिर्माण करने में सफल हो गये तो वादिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी और बेरुन अदालत प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकत से किसी तरह से बाज आने को तैयार नहीं है इसलिए वादिनी को न्यायालय की शरण लेना आवश्यक हुआ और दावा दायर करना लाजिम आया।
- धारा-8 यह कि प्रतिवादीगण न्यायालय के बाहर सुलह करने को तैयार नहीं है लिहाजा प्रस्तुत दावा श्रीमान जी के न्यायालय में दायर करना आवश्यक हुआ।
- धारा-9 यह कि वाद का मूल कारण दिनांक-12.09.2020 को जब प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर नवनिर्माण करने का असफल प्रयास किया वादहू देने धमकी कर लेने जबरदस्ती निर्माण कार्य बमुकाम मौजा ढेलहा परगना-चांदा तहसील लम्मुआ जिला-सुलतानपुर अन्दर हदूद अख्तियार समायत अदालत हाजा के पैदा हुआ।
- धारा-10 यह कि आराजी निजाई के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त उभयपक्षों के बीच कोई अन्य मुकदमा न तो दीवानी न्यायालय में दायर किया गया और न ही माननीय उच्च न्यायालय में संस्थित है और न ही आराजी निजाई के सम्बन्ध में उभयपक्षों के बीच दुरभि संधि ही है।
- धारा-11 यह कि मालियत दावा हाजा वास्ते हद अख्तियार आराजी निजाई गाटा सं०-260 रकबा 0.6830हे० स्थित ग्राम-ढेलहा से सटी हुई आराजी है जिस कारण से उसकी बाजारू कीमत 6,00,000रू० कायम की जाती है। 600000रू० का 1/5 भाग मु०-1,20,000रू० होता है। चूंकि दावा स्थायी व्यादेश का है इसलिए उस पर अधिकतम कोर्ट फीस 500रू० की वास्ते याचना अदा की जाती है।

याचना

(Handwritten Signature)

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०-15 महींदर सुलतानपुर
बिमला देवी बर्नाम बिमलेश आदि
सातानपुर- /2020

3/5

अ-

डिक्री रथायी व्यादेश बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की पारित की जाय कि प्रतिवादीगण को हगेशा-हमेशा के लिए मना कर दिया जाय कि प्रतिवादीगण, वादिनी की विवादित आराजी जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है उस पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर नवनिर्माण न करें, न ही वाद भूमि पर वादिनी के कब्जा दखल शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में कोई हस्तक्षेप करें।

ब-

खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलाया जाय।

स-

अन्य याचना जो आवश्यक एवं उचित हो वादिनी के पक्ष में प्रदान की जाय।

सराहत जायदाद निजाई- स्थित गाटा सं०-260 रकबा 0.6830 हे० वाके मौजा डेलहा परगना-चांदा, तहसील-लम्बुआ जनपद सुलतानपुर।

मैं वादिनी स्वयं तस्दीक करती हूँ।

प्रार्थिनी

कि वाद पत्र की धारा 1 ता 10 मेरे

निजी जानकारी में सही व सत्य है

तथा धारा 11 व अनुतोष के सही

होने का यकीन अपने अधिवक्ता के

बताने के अनुसार करता हूँ। इसमें

न कुछ झूठ है न कुछ छिपाया गया

है तस्दीक स्थान-दीवानी न्यायालय

प्रांगण सुलतानपुर

दिनांक:- 16.9.20

बिमला देवी पत्नी स्व० शोभनाथ

निवासिनी ग्राम डेलहा

परगना-चांदा, तहसील-लम्बुआ

जनपद सुलतानपुर .

.....वादिनीगण

द्वारा अधिवक्ता

दिनांक:- 16.9.20

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (प्र०ख०) कक्ष सं०-15 महोदय सुलतानपुर
बिमला देवीबनाम.....बिमलेश आदि
सुलतानपुर- / 2

आभाळम सी मान सिविल जज (प्रवक्ता) कृष्ण स 15 मेघद 3 23 लताग 3

3/6


बिमला देवी ————— बादीनी

बनार

बिमलेश शाह ————— अलिबादीगंज


सांख्यार 12020

दायदा दिनांक 16.9.20



अबशा नजरी

रिन संजम



बादीनी - सि 280

बिमला देवी विमला देवी

बादीनी

ह्याच
आवक वरुवा

दि 16.9.20

न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर

मूल वाद संख्या-1116/20

आवेदक

बनाम

दिनांक 16-5-20

आज यह वादपत्र व शपथपत्र मुन्सरिम आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ।
अवलोकित। अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

आदेश

मूलवाद के रूप में पंजीकृत हो। वाद दिनांक 16-10-20 को
वास्ते ध्यान तहरीरी एवं दिनांक 23-10-20 को वास्ते बिरचित किये जाने
वादविन्दु पेश हो। विपक्षी को सम्मन जारी हो वादी पैरवी तीन दिन में करे।

सिविल जज(प्रवर खण्ड),

कक्ष सं०-15 सुलतानपुर

5ग2 प्रार्थनापत्र हुकुम इम्तिनाई चन्दरोजा अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2
जा०दी०।

6ग2 शपथपत्र।

7ग2 प्रार्थनापत्र कमीशन अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जा०दी० प्रस्तुत किया
गया।

नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

17-09-20

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र० ख०) कक्ष सं०-15
सुलतानपुर।

न्यायालय सिविल जज प्रवर खण्ड कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-1116/2020
विमला देवी—बनाम—बिमलेश आदि।

दिनांक-17.09.2020

प्रार्थना पत्र 5ग2 वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है। वादिनी विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षी रूप से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र को गाटा संख्या 260 रकबा 0.6830 हे0 को अपनी संकमणीय भूमिधरी होना कहा है। वादिनी ने यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण का वाद भूमि से कोई संबंध नहीं है वे वाद भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में सूची 9ग1/1 से उद्धरण खतौनी कागज संख्या 10ग1/1, खसरा कागज संख्या 11ग1/1, बन्दोवरती नक्शा की छायाप्रति कागज संख्या 12ग1/1, ता 12ग1/5, आधार कार्ड की छायाप्रति कागज संख्या 13ग1/1 प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य उद्धरण खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी गाटा संख्या 260 रकबा 0.6830 हे0 पर बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज है। वाद भूमि के बावत वादिनी का प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है। अतः ऐसे में यदि अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश जारी नहीं किया जाता है और प्रतिवादीगण द्वारा वाद भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है तो इससे वादिनी का दावा दायर करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह वाद भूमि दर्शित अक्षर अ, ब, स, द नक्शा वाद पत्र पर नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाये रखे। वादिनी आदेश 39 नियम 3 सि0 प्र0 सं0 का अनुपालन करें। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित किया जाता है। पत्रावली वारते निरंतरण प्रार्थना पत्र 5ग2 व आपत्ति दिनांक 16.10.2020 को पेश हो।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

प्रार्थना पत्र 7ग2

वादी द्वारा अन्तगंत आदेश 26 नियम 9-जरिये अमीन अदालत वाद भूमि का कमीशन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र 7ग2 स्वीकार किया जाता है। वादी पैरवी अविलम्ब करे। हल्का अमीन को वादायुक्त नियुक्त किया जाता है। वाद पैरवी वादायुक्त को परवाना जारी हो। वादायुक्त उभयपक्ष को सूचित कर नियमानुसार वाद भूमि का कमीशन कार्यवाही कर आख्या मय नक्शा नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे।

(संदीप कुमार)

सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0 15
सुलतानपुर।

TI

16.10.20

गंगा नदी

CR/51/18

23/10

8

23/10/20

23-10-20

Atiqah

23.10.2020

03

11

20

गीता सिंह

3.11.20

23-10-20

पुनर्जापना वाक्य अनुच्छेद

दि - 03.11.2020

वाक्य पुनर्जापना 5 म 2 पेज में

T-1 पुनर्जापना

C No. 15

TI

03.11.20

गंगा नदी

CR/51/18

23/10

18/11

गीता सिंह

18/11/20

18.11.20

पुनर्जापना वाक्य अनुच्छेद

मिथि उपच्छेद CR वा

पुनर्जापना वाक्य अनुच्छेद

दि - 10.11.20 के वाक्य

पुनर्जापना 5 म 2 पेज में

T-1 पुनर्जापना

C No. 15

11/16/20

18.11.20 - पुकारा पत्रिका का आंक 14

राशि
CR 111
34 57
आंक 14 में
वाक्य लिखें
30/11

CR का उभय पक्षों-
आधारित आंक 14 के
वाक्य हैं।

दि - 30-11-2020

वाक्य लि - CR / आधारित

पक्षों / T-1-पुकारा

C-4615

30-11-20 - ~~CR~~ 16-12-20

T-1-पुकारा

C-4615

16-12-20

- पुकारा पत्र वाक्य उभयों

P-लगेलेखक वचनार्थक लिखित
में वाक्य हैं।

दि - 21-12-20 के

वाक्य लि - CR / 482-
(पुकारा)

T-1-पुकारा

C-4615

6610

(संदीप कुमार)

शिविल नज (पो ख0) कक्षा सं0-15
सुलतानपुर।

30/11/20

30/11/20

30/11/20

16 T1
12

12-2020

21
12

21-12-20
(पुकारा)

11/0/20

महाराष्ट्र

दिनांक 10/2/20

प्रथमा पत्र 10/2/20

के विचारित आशयों पर राज हो। प्रोत्साहन प्राप्त कोई लक्ष्य ही है।

अच्छे

21-12-20 TI

नाम
नाम
नाम
02/5/21

04/01/21

युवा या वरिष्ठ (1)
किसी के उपाय (2)
- पाठ मिलने वाली के
एक ऊपर दिखवाते (3)
दि - 04-01-21
वाले सुनाई देना
पेमें टी-प्रभावी

C: M: 15

04.01.21

CR 11
कोड - 34-1
कोड - 34-1
02/5/21
TI 11
16/01/21

युवा या वरिष्ठ (1)
C-R पर कार्यवाही के
उपाय (2)
अंश दिखवाते (3)

दि - 16-01-21 को वाद्य कि C-R
जुवा उपाय पेमें टी-प्रभावी

C: M: 15

16.01.21

नाम CR 11/21
नाम
08/02/21

युवा या वरिष्ठ (1)
26 अर सापत्ति कि C-R
वादि कि सापत्ति कि (2)
दि - 08-02-21 को
वाद्य कि C-R/अंश
पेमें टी-प्रभावी

C: M: 15

4-1-21
4-1-21

16-1-21

8-2-21
8-2-21

न्यायालय सिविल जज (प्र0ख0) कक्ष संख्या-15 सुलतानपुर।

मूल वाद संख्या-1116/2020

विमला देवी—बनाम—विमलेश आदि।

दिनांक-08.10.2020

प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.10.2020 प्रार्थिनी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विवादित आराजी प्रार्थिनी की भूमिधरी आराजी है और राजस्व अभिलेखों में प्रार्थिनी के नाम से दर्ज है। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु आज से लगभग 01-वर्ष पूर्व हो चुकी है और प्रार्थिनी के पास कोई लड़का नहीं है मात्र लड़की है जिसका विवाह अमेठी जनपद में हुआ है। प्रार्थिनी की लड़की बीच-बीच में आकर प्रार्थिनी की सेवा करती है जिस कारण प्रतिवादीगण का हौसला अत्यन्त वृद्ध महिला होने के कारण बढ़ता चला जा रहा है और उपरोक्त मुकदमें की जानकारी प्रतिवादीगण को हो गयी है और प्रार्थिनी को आने-जाने के लिए कोई रारता नहीं है। मात्र उसी विवादित आराजी वादिनी की खतौनी से वादिनी अपने घर आती जाती है। प्रतिवादीगण को उपरोक्त मुकदमें की जानकारी हो गयी है और प्रतिवादीगण रुपये पैसे से सम्पन्न व्यक्ति है और गांव में नाजायज गोल कायम किए हुए है। जिस कारण से विवादित आराजी पर जबरन ईट, मॉरंग, सीमेण्ट गिराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिए है जिसकी सूचना वादिनी ने किसी तरह संबंधित थाना लम्भुआ सुलतानपुर में दिया तथा स्थगन आदेश की जानकारी संबंधित थाने को दिया लेकिन संबंधित थाने की पुलिस प्रतिवादीगण से मिल मिलाकर निर्माण को बन्द नहीं करा रही है और विवादित आराजी की नवइयत बदल दी जा रही है। अतः संबंधित थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर को आदेशित किया जावे कि स्थगन आदेश का अनुपालन जरिए पुलिस कराकर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाना न्यायहित में अति आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.09.2020 को न्यायालय द्वारा नियत दिनांक तक के लिए वाद भूमि के बावत उभय पक्ष को यथास्थिति बनाये रखने के लिए आदेश पारित किया गया था जो कि अभी तक प्रभावी चला आ रहा है। अतः ऐसे में न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन जरिए पुलिस दल कारये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित 07.10.2020 स्वीकार किया जाता है। संबंधित थानाध्यक्ष लम्भुआ जनपद सुलतानपुर को आदेशित किया जाता है कि वे वाद में पारित आदेश दिनांक 17.09.2020 का मौके पर अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की एक प्रति संबंधित थाने को प्रेषित किया जाए। वादिनी आवश्यक पेशी अधिलम्ब करे।

सीमान्त
आदेश की
प्रति प्रेषित
12.10.20

08.10.20
(संदीप कुमार)
सिविल जज (प्र0 ख0) कक्ष सं0-15
सुलतानपुर।

23 TI 8.2.21
02
2

गुन्नापारवादी अर्जिना -
प्रायकादी
दिनांक 23.2.21
वादी भागि 50-पुनर्वादी

1115-

23/2/21

23-02-21 - गुन्नापारवादी अर्जिना

दि - 10-03-21 के

वादी भागि 50-पुनर्वादी

T.1-पुनर्वादी

C-10/15

23-2-21

10 TI

03

2

10-03-21 - गुन्नापारवादी अर्जिना

दि - 01-04-21 के

वादी भागि 50-पुनर्वादी

T.1-पुनर्वादी

C-10/15

10/2/20

01 TI

01

01-04-21

- गुन्नापारवादी अर्जिना

दि - 01-05-21 के

वादी भागि 50-पुनर्वादी

T.1-पुनर्वादी

C-10/15

1-4-21

01 TI
05

1.5.21

G.D 10.0.21

(अर्जिना-19)

1-5-21

11/5/21